1. वेतन एवं मजदूरी (Wages and Salaries)
2. बोनस (Bonus)
3. कार्य के घंटे (Hours of Work)
4. अनुषंगी के लाभ (Fringe Benefits)
5. अधि-समय (Over-time)
6. वरिष्ठता (Seniority)
7. अन्य मामले (Others)

1. वेतन एवं मजदूरी (Wages and salaries) : इसके अंतर्गत मजदूरी तथा वेतन की विधि, गलत कार्यों के लिए वेतन की कटौती, अच्छे कार्य के लिए वेतन वृद्धि, स्थानांतरण के समय वेतन वृद्धि, विभिन्न शिफ्टों में कार्य करने पर वेतन एवं मजदूरी के अंतर की स्थिति, लेऑफ के समय के वेतन आदि के मामले सम्मिलित हैं।

2. बोनस (Bonus) : बहुत से उपकरणों में बोनस बचत के आधार पर दिया जाता है और कुछ संस्थानों में बोनस को उत्पादकता से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार बोनस का आधार भी सामूहिक सौदेबाजी का एक विषय बन जाता है, इसके अतिरिक्त इसमें बोनस की दर व भुगतान विधि आदि को भी सम्मिलित किया जाता है।

3. कार्य के घंटे (Hours of work) : कार्य का प्रारंभ एवं अंत करने का समय, भोजन एवं आराम का समय, अवकाश आदि से संबंधित मामले इसके क्षेत्र में सम्मिलित हैं।

4. अनुषंगी लाभ (Fringe benefits) : अनुषंगी लाभों से तात्पर्य उन समस्त लाभों से है जो कर्मचारियों या श्रमिकों को उनके प्रत्यक्ष वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त प्रदान किये जाते हैं। इन लाभों में से सामान्यतः निम्नलिखित अनुषंगी लाभों से संबंधी मामले सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं :

(*i*) कर्मचारी राज्य बीमा, (*ii*) भविष्य निधि, (*iii*) ग्रेच्युटी, (*iv*) आवास, (*v*) यातायात, (*vi*) मनोरंजन, (*vii*) सेवानिवृत्ति, (*viii*) रात्रि पाली भत्ता, (*ix*) चिकित्सा सहायता, (*x*) शिक्षण-प्रशिक्षण, (*xi*) अस्पताल भत्ता, (*xii*) कपड़े धोने का भत्ता, (*xiii*) छुट्टियां व अवकाश, (*xiv*) मातृत्व अवकाश आदि।

5. अधिसमय (Over-time) : अधिसमय का बराबर विभाजन, अधिसमय में अधिक लंबे समय तक कार्य करने पर भोजन आदि से संबंधित मामले इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं।

6. वरिष्ठता (Seniority) : सामूहिक सौदेबाजी के वरिष्ठता संबंधी मामलों में सामान्यतः इस प्रकार के मामले सम्मिलित होते हैं, जैसे—वरिष्ठता का आधार, वरिष्ठता का क्रम, योग्यता अंकन, पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण, सेवा-मुक्ति आदि।

7. अन्य मामले (Others) : उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य मामले भी प्रायः सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, जैसे—(*i*) संयुक्त परिषदें, (*ii*) परिवेदना निवारण पद्धति, (*iii*) हड़तालें व तालाबंदी, (*iv*) श्रम संघ को मान्यता, (*v*) अनुशासन व पर्यवेक्षण, (*vi*) विवेकीकरण व यंत्रीकरण, (*vii*) पंच-निर्णय, (*viii*) दंड व्यवस्था, (*ix*) जबरी छुट्टी व छंटनी, (*x*) औद्योगिक दुर्घटनाएं, (*xi*) तकनीकी प्रविधियां, (*xii*) उत्पादन प्रमाप का निर्धारण (*xiii*) संस्थान के नियम आदि।

एम्प्लायर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (Employers Federation of India) के एक अध्ययन के अनुसार (जिसमें 111 संस्थानों के 109 समझौतों का अध्ययन किया गया था तथा जिनमें सूती वस्त्र उद्योग, बंबई एवं मद्रास, जूट वस्त्र तथा इंजीनियरिंग उद्योग कलकत्ता, बागान उद्योग, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु तथा मैसूर सम्मिलित हैं) निम्न सारणी प्राप्त हुई। इस अध्ययन के अनुसार जैसा कि सारणी से स्पष्ट है, प्रायः तीन प्रकार के विषय सामूहिक समझौते से देखने में आते हैं : (*अ*) वेतन एवं मजदूरी के प्रति प्रत्यक्ष कार्यवाही, (*ब*) अवकाश, (*स*) कार्य की दशाओं एवं समय में सुधार।

Scanned with CamScanner